

(5)


2022/81  
FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी  
अज अदालत बडीसादडी जि. चिचोइगण मुकाम  
ताराचन्द वनाम राकेश  
किस्म मुकदमा नं. सन्  
97.45 128 56/2022

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|--|--|
| 27.4.22    | <p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीक्षनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा.....<br/>ग्राम..... की<br/>आ.न. <del>की खाता नं. 243 की क्र. 6 फिल. की</del> <del>का 0.71 ई.</del><br/>विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजुदगी में की जावे।<br/>प्रार्थी से कमीक्षनरी फिस रूपये 1200/- वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें।<br/>पत्रावली में हुकमनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> |  |

  
उपखण्ड अधिकारी  
बडीसादडी

